रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-28032025-262027 CG-MH-E-28032025-262027

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] No. 262] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 27 मार्च, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/239.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]
 (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके अधिसूचित होने की तारीख से लागू होंगे।

2176 GI/2025 (1)

- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, –
 - (1) विनियम 3 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) में, परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों "या 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर' " के बाद दिए हुए शब्दों "की पृष्टि करेगी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के अनुसार निर्धारित मानदंडों का आकलन (असेसमेंट) करेगी या उनके संबंध में पृष्टि (एश्योरेंस) करेगी" आ जाएँगे;
 - (2) विनियम 15 में,
 - (क) उप-विनियम (1क) में, शब्दों "असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य" के बाद और शब्दों "या उससे अधिक हो" से पहले दिए हुए शब्दों "पाँच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार करोड़ रुपये" आ जाएँगे;
 - (ख) उप-विनियम (1क) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि मौजूदा सूचीबद्ध (लिस्टिड) असंपरिपवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य वर्ष के दौरान एक हजार करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा-रेखा के बराबर या उससे अधिक हो जाए, तो ऐसे में जिस दिन ऐसा हुआ हो उस दिन से छह महीनों के भीतर 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटिटी' (एच.वी.डी.एल.ई.) को इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ हो उस दिन के बाद वाली तीसरी तिमाही से ही कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि इन प्रावधानों का पालन कर लिया गया है।"

(ग) उप-विनियम (1क) के स्पष्टीकरण (4) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण (5) – यदि 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटिटी' ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हुई हों, तो ऐसे में वह इन विनियमों के विनियम 15 से विनियम 27 तक के प्रावधानों का पालन करेगी।"

(घ) उप-विनियम (1क) के बाद और उप-विनियम (1ख) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1कक) विनियम 3 के उप-विनियम (3) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, विनियम 15 से विनियम 27 तक के प्रावधान किसी 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटिटी' के मामले में एक बार जब लागू हो जाएँ, तो ऐसे में यदि मौजूदा सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य किसी वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीमा-रेखा से कम हो जाए और फिर लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक निर्धारित सीमा-रेखा से कम बना रहे तब भी वे लागू रहेंगे।"

(ङ) उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2025 से, विनियम 23 के प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के मामले में लागू होंगे, जिसने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हुई हों और पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक की स्थिति के अनुसार जिसकी समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल) दस करोड़ रुपये से अधिक की हो या जिसकी शद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक की हो:

3

परंतु यह और कि जहाँ विनियम 23 के प्रावधान किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी (जिसने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराई हुई हों) के मामले में बाद में किसी तारीख को लागू हो जाएँ, वहाँ वह एंटिटी उस तारीख से छह महीनों के भीतर उन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगी:

परंतु यह और कि विनियम 23 के प्रावधान किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी (जिसने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराई हुई हों) के मामले में एक बार जब लागू हो जाएँ, तो ऐसे में यदि ऐसी एंटिटी की इक्किटी शेयर पूँजी (इक्किटी शेयर कैपिटल) और शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) निर्धारित सीमा-रेखा से कम हो जाए और फिर लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक निर्धारित सीमा-रेखा से कम बनी रहे तब भी वे लागू रहेंगे।"

(च) विनियम 17क में,

- (i) मौजूदा स्पष्टीकरण अब स्पष्टीकरण (1) बन जाएगा;
- (ii) इस प्रकार बने नए स्पष्टीकरण (1) में, शब्दों तथा चिह्नों "ऐसी सूचीबद्ध एंटिटियों की ही गिनती की जाएगी, जिनके इक्किटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों और जिनमें कोई व्यक्ति निदेशक / स्वतंत्र निदेशक हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "कोई व्यक्ति कितनी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों में निदेशक / स्वतंत्र निदेशक के पद पर है, यह गणना करने के लिए सभी सूचीबद्ध एंटिटियों (जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों) और एच.वी.डी.एल.ई. को गिना जाएगा" आ जाएंगे।
- (iii) इस प्रकार बने नए स्पष्टीकरण (1) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण और परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण (2) - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, अधिकतम निदेशक पदों की गणना करते समय उन निदशक पदों को नहीं गिना जाएगा, जिन पदों पर कोई व्यक्ति महज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) संबंधी व्यवस्था के तहत बनी एंटिटियों में (किसी कानूनी प्रावधान या किसी करार आदि के तहत) किसी ओहदे पर होने की वजह से ही नियक्त हो:

परंतु यह कि एच.वी.डी.एल.ई. से संबंधित इस प्रावधान में दी हुई कोई भी बात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख या वार्षिक आम बैठक की तारीख (जो भी बाद में आए) से छह महीनों की अविध तक लागू नहीं होगी।"

- (3) विनियम 23 में, उप-विनियम (1) में,
 - (क) परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;
 - (ख) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हुई हों, उसके मामले में संबंधित पक्ष (संबद्ध पक्षकार / रिलेटेड पार्टी) के साथ किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) को 1 अप्रैल, 2025 से महत्त्वपूर्ण माना जाएगा, यदि किए जाने वाले लेनदेन की रकम अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले समस्त लेनदेन की रकम कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपये या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी के वार्षिक टर्नओवर (व्यापारावर्त) [सबको मिलाकर] के दस प्रतिशत (जो भी कम हो) से अधिक हो जाए।"

- (4) विनियम 26 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, चिह्न तथा शब्द ", 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण वाली एंटिटियाँ' " हट जाएँगे ।
- (5) विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में, खंड (च) में,-
 - (क) परंतुक में, शब्दों "रिपोर्ट कोर" के बाद तथा शब्दों "उस तारीख से और उसी प्रकार" से पहले दिए हुए शब्दों "के संबंध में पुष्टि" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के अनुसार निर्धारित मानदंडों का आकलन (असेसमेंट) या उनके संबंध में पुष्टि (एश्योरेंस)" आ जाएँगे;
 - (ख) दूसरे परंतुक में, शब्दों "रिपोर्ट कोर" के बाद तथा शब्दों "उस तारीख से और उसी प्रकार" से पहले दिए हुए शब्दों "के संबंध में पृष्टि" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के अनुसार जानकारी (डिस्क्लोज़र) भी उस तारीख से और उसी प्रकार प्रदान करेंगी और साथ ही 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर' के अनुसार निर्धारित मानदंडों का आकलन (असेसमेंट) या उनके संबंध में पृष्टि (एश्योरेंस) भी" आ जाएँगे;
 - (ग) तीसरे परंतुक में, शब्दों "रिपोर्ट कोर" के बाद तथा शब्दों "करवा सकेंगी" से पहले दिए हुए शब्दों "के संबंध में पृष्टि" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "के अनुसार निर्धारित मानदंडों का आकलन (असेसमेंट) या उनके संबंध में पृष्टि (एश्योरेंस)" आ जाएँगे;
- (6) अध्याय-V के बाद, एक नया अध्याय-Vक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"अध्याय-Vक

जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हुई हों, उसके लिए कारपोरेट गवर्नेंस (कंपनी संचालन) संबंधी मानदंड

परिभाषाएँ

62ख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो तब तक -

- (क) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्किज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] में इसके लिए दिया हुआ है; और
- (ख) "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो इन विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम(1) के खंड (ख) में इसके लिए दिया हुआ है:

परंतु यह कि जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी एक ऐसी कंपनी (ऐसा बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) हो, जिसके लिए उन कानूनी प्रावधानों में निर्धारित किए गए तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना जरूरी हो जिनके तहत वह बनी (बना) हो या जो सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) के मॉडल / ढाँचे के तहत बनी एंटिटी हो, उसके निदेशक मंडल में शामिल नामिति निदेशक (नॉमिनी डायरेक्टर) को छोड़कर जो भी गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर / गैर-कार्यपालक निदेशक) हों उन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।

- (ग) "सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप)" का अर्थ है सरकारी प्राधिकरण (कन्सेशनिंग अथॉरिटी) और किसी खास उद्देश्य से बनी निजी कंपनी (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) [संचालक (कन्सेशनायर) का काम करने वाली, जिसे मंगाई गई बोलियों (कंपीटिटिव बिड) के आधार पर या संबंधित प्राधिकरणों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग / एम.ओ.यू.) के आधार पर चुना जाता है] के बीच होने वाली भागीदारी।
- (घ) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" का वही अर्थ होगा, जो इन विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में इसके लिए दिया हुआ है ।

प्रावधानों का लागू होना

62ग. (1) इस अध्याय के प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के मामले में लागू होंगे, जिसने केवल नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ) ही सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हुई हों और इन मौजूदा नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, और जिसकी कोई सूचीबद्ध (लिस्टिड) निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) न हों।

स्पष्टीकरण (1):- कोई एंटिटी 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटिटियों' की श्रेणी में आती है या नहीं, यह इस आधार पर तय किया जाएगा कि 31 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) के बकाया मूलधन की रकम कितनी है, फिर भले ही यह संशोधन किसी भी तारीख को अधिसूचित क्यों न हो।

स्पष्टीकरण (2):- विनियम 62ग के उप-विनियम (1) के दायरे में आने वाली एंटिटियाँ, इस अध्याय के प्रयोजनार्थ 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटिटियाँ' (एच.वी.डी.एल.ई.) मानी जाएँगी:

परंतु यह कि यदि मौजूदा सूचीबद्ध (लिस्टिड) असंपरिपवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान एक हजार करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा-रेखा के बराबर या उससे अधिक हो जाए, तो ऐसे में जिस दिन ऐसा हुआ हो उस दिन से छह महीनों के भीतर उसे इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ हो उस दिन के बाद वाली तीसरी तिमाही से ही कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि इन प्रावधानों का पालन कर लिया गया है।

(2) विनियम (3) के उप-विनियम (3) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय में दिए हुए प्रावधान किसी एच.वी.डी.एल.ई. के मामले में एक बार जब लागू हो जाएँ, तो ऐसे में यदि मौजूदा सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य किसी वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीमा-रेखा से कम हो जाए और फिर लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक निर्धारित सीमा-रेखा से कम बना रहे तब भी वे लागू रहेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएंगे।

- (3) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 [सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेग्यूलेशन्स, 2014] के प्रावधानों के तहत रजिस्टर हुए अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संचालन (गवर्नेंस) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंड लागू होंगे।
- (4) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 [सेबी (रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेग्यूलेशन्स, 2014] के प्रावधानों के तहत रजिस्टर हुए रियल इस्टेट निवेश न्यास (रीट) के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संचालन (गवर्नेंस) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंड लागू होंगे।
- (5) विनियम 62घ के प्रावधान उस अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे, जब एच.वी.डी.एल.ई. दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस) से गुजर रही हो:
 - परंतु यह कि निदेशक मंडल की जिन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का जिक्र विनियम 62घ में किया गया है, उन्हें दिवाला संहिता की, यथास्थिति, धारा 17 या धारा 23 के अनुसार अंतरिम समाधान विशेषज्ञ (इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) या समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा निभाया जाएगा।
- (6) विनियम 62च, 62छ, 62ज और 62झ के प्रावधान उस अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे, जब एच.वी.डी.एल.ई. दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस) से गुजर रही हो:

परंतु यह कि समितियों की जिन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का जिक्र संबंधित विनियमों में किया गया है, उन्हें दिवाला संहिता की, यथास्थिति, धारा 17 या धारा 23 के अनुसार अंतरिम समाधान विशेषज्ञ (इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) या समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा निभाया जाएगा।

(7) इस अध्याय के प्रावधानों के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू रहेंगे, जहाँ कहीं भी वे लाग होते हों।

निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड)

62घ. (1) एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) का ढाँचा निम्नानुसार होगा:

- (क) निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक निदेशक) और गैर-कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक / नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) पर्याप्त संख्या में होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे;
- (ख) जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक हो, वहाँ निदेशक मंडल में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी में कोई नियमित गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव) अध्यक्ष न हो, वहाँ निदेशक मंडल में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे:

परंतु यह कि जहाँ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का प्रोमोटर (संप्रवर्तक) हो अथवा किसी प्रोमोटर से संबंधित हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो, जो निदेशक मंडल के स्तर के या निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे के प्रबंध-मंडल से जुड़े ओहदे पर हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्दों "किसी प्रोमोटर से संबंधित" का यह अर्थ होगा कि:

- (i) यदि प्रोमोटर (संप्रवर्तक) एक सूचीबद्ध एंटिटी हो, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि उसके वे निदेशक जो स्वतंत्र निदेशकों से भिन्न हैं, उसके कर्मचारी या उसके नामिती (नॉमिनी) उससे संबंधित हैं;
- (ii) यदि प्रोमोटर (संप्रवर्तक) एक असूचीगत (अनिलस्टिड) एंटिटी हो, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि उसके निदेशक, उसके कर्मचारी या उसके नामिती (नॉमिनी) उससे संबंधित हैं।
- (2) कोई भी एच.वी.डी.एल.ई. गैर-कार्यकारी निदेशक के तौर पर ऐसे किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं करेगी या ऐसे किसी व्यक्ति को तब तक निदेशक पद पर नहीं रखेगी जो पचहत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जब तक कि इस संबंध में एक विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित न कर दिया जाए,

और ऐसे मामले में ऐसे प्रस्ताव के नोटिस के साथ लगाए जाने वाले विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में यह उल्लेख किया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का औचित्य क्या है।

(3) एच.वी.डी.एल.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के तौर पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के संबंध में, अगली आम बैठक (साधारण बैठक) में या नियुक्त किए जाने की तारीख से तीन महीनों की समयाविध के भीतर (जो भी पहले आए), शेयरधारकों की मंजूरी ले ली जाए:

परंतु यह कि सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के तौर पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजुरी अगली आम बैठक में ले ली जाए:

परंतु यह और कि जिस व्यक्ति के नाम के प्रस्ताव को शेयरधारक आम बैठक में पहले ही ठुकरा चुके हों, उस व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति [जिसमें उस व्यक्ति की प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) या प्रबंधक के तौर पर नियुक्ति या फिर से नियुक्ति भी शामिल है] केवल शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी लेकर ही की जाएगी:

परंतु यह और कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को शेयरधारक पहले ही ठुकरा चुके हों, उस व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने पर विचार करने के लिए, शेयरधारकों को भिजवाई जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 की उप-धारा (1) के अनुसार लगाए जाने वाले विवरण (स्टेटमेंट) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (यदि वह समिति गठित की गई हो, तो) और निदेशक मंडल का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण दिया जाएगा और यह औचित्य भी बताया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त या फिर से नियुक्त करने की सिफारिश क्यों की गई है।

(4) किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के निदेशक मंडल का कोई निदेशक अपने पद पर तभी बना रहेगा, जब इस संबंध में, यथास्थिति, उसे नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने की तारीख से प्रत्येक पाँच वर्षों में कम से कम एक बार आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाए: परंतु यह कि 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार किसी एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल में यदि कोई व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों से या पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से शेयरधरकों की मंजूरी के बिना ही निदेशक पद पर बना हुआ हो, तो ऐसे में वह आगे निदेशक पद पर तभी बना रहेगा जब 31 मार्च, 2025 के बाद होने वाली पहली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाए:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), प्रबंधक (मैनेजर), स्वतंत्र निदेशक या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 की उपधारा (6) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के मामले में लागू नहीं होगा, यदि उपरोक्त निदेशकों या प्रबंधक को फिर से नियुक्त किए जाने या का कार्यकाल बढ़ाए जाने हेतु शेयरधारकों की मंजूरी लेने के संबंध में इन विनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 में जो प्रावधान किया गया है उसका पालन कर लिया जाए:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान न तो उस निदेशक के मामले में लागू होगा, जिसकी नियुक्ति न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के आदेश के अनुसार या फिर दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेंसी कोड) की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार की गई हो, न किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को छोड़कर) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशक के मामले में लागू होगा, न किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के बोर्ड में वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा नामित किए गए निदेशक के मामले में लागू होगा, और न ही सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) के मॉडल / ढाँचे के तहत नियुक्त किए गए निदेशक के मामले में लागू होगा:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान उस निदेशक के मामले में लागू नहीं होगा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ रजिस्टर हुई या उसके विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा, अपने सामान्य कामकाज के दौरान किए गए किसी ऋण संबंधी करार आदि के तहत नामित किया गया हो या जिसे एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में पैसा लगाए जाने के संबंध में किए गए करार (सब्स्क्रिप्शन एग्रीमेंट) के तहत डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) [जो बोर्ड के यहाँ रजिस्टर हो] द्वारा नामित किया गया हो।

(5) यदि निदेशक का कोई पद खाली हो, तो वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि यदि किसी निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से इस विनियम के उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधान का पालन एच.वी.डी.एल.ई. के स्तर पर न हो रहा हो, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटिटी को वह पद उस तारीख तक अवश्य भरना होगा जिस तारीख को वह खाली होगा:

परंतु यह और कि यदि खाली पद पर नियुक्ति किए बिना ही इस विनियम के उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधान का पालन एच.वी.डी.एल.ई. के स्तर पर हो रहा हो, तो ऐसे में यह उप-विनियम लागू नहीं होगा।

- (6) निदेशक मंडल की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार होंगी, और किन्हीं दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा दिनों का अंतर नहीं होगा।
- (7) निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में कोरम तब पूरा माना जाएगा, जब बैठक में निदेशकों की कुल संख्या में से एक-तिहाई निदेशक या फिर तीन निदेशक उपस्थित रहें (जो भी संख्या ज्यादा हो, और जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हो)।

स्पष्टीकरण:—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या दूसरे ऑडियो-विज्ञअल माध्यमों के जरिए भाग लेने वाले निदेशकों को भी कोरम में गिना जाएगा।

(8) निदेशक मंडल एच.वी.डी.एल.ई. पर लागू समस्त कानूनी प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों (कंप्लायंस रिपोर्ट) की और साथ ही पालन किए जाने के संबंध में जो भी कमी रह गई हो उसे दूर करने की दिशा में एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा उठाए गए कदमों की भी समय-समय पर समीक्षा करेगा।

- (9) एच.वी.डी.एल.ई. का निदेशक मंडल इस बात की पृष्टि करेगा कि निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल में नियुक्ति किए जाने के संबंध में उचित व्यवस्था निर्धारित कर ली गई है, ताकि पद रिक्त होते ही सुव्यवस्थित रूप से उसे भरा जा सके।
- (10) निदेशक मंडल एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के सभी सदस्यों के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा, और उसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रावधानों में स्वतंत्र निदेशकों के जिन कर्तव्यों का उल्लेख है उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
- (11) (क) निदेशक मंडल इसकी सिफारिश करेगा कि गैर-कार्यकारी निदेशकों (जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं) को किस-किस तरह की कितनी-कितनी फीस या पारिश्रमिक के तौर पर कितनी रकम अदा की जाए, और साथ ही इस संबंध में आम बैठक में शेयरधारकों की मंजुरी भी लेगा।
- (ख) गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदा किए जाने वाले बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) के संबंध में आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, यदि बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) अदा किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वह अदा की जाए।
- (ग) इस उप-विनियम के खंड (क) के अनुसार शेयरधारकों की मंजूरी लेकर यह तय किया जाएगा कि गैर-कार्यकारी निदेशकों को किसी एक वित्तीय वर्ष में और कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने स्टॉक ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
- (घ) यदि किसी एक गैर-कार्यकारी निदेशक को वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली रकम सभी गैर-कार्यकारी निदेशकों को वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली कुल रकम के पचास प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो ऐसे में प्रत्येक वर्ष विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित करवाकर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी, और साथ ही इस प्रकार पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली रकम के ब्यौरे भी प्रस्तत करने होंगे।
- (ङ) स्वतंत्र निदेशक कोई स्टॉक ऑप्शन पाने के हकदार नहीं होंगे।
- (12) जो कार्यकारी निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हों या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के सदस्य हों, उन्हें फीस या पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली रकम के संबंध में आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करवाकर शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी, यदि
 - (i) ऐसे कार्यकारी निदेशक को वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली रकम 5 करोड़ रुपये से या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के शुद्ध मुनाफे की रकम के 2.5 प्रतिशत से (दोनों में से जो भी अधिक हो) अधिक हो जाए; या
 - (ii) जहाँ ऐसे निदेशकों की संख्या एक से अधिक हो, वहाँ ऐसे निदेशकों को वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक के तौर पर अदा की जाने वाली कुल रकम एच.वी.डी.एल.ई. के शुद्ध मुनाफे की रकम के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए:

परंतु यह कि इस प्रावधान के तहत शेयरधारकों की मंजूरी ऐसे निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने तक ही मान्य रहेगी।

11

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ, शुद्ध मुनाफे की रकम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार निकाली जाएगी ।

- (13) अनुसूची-II के भाग-क में दी हुई जानकारी निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (14) एच.वी.डी.एल.ई. के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) निदेशक मंडल को अनुसूची-II के भाग-ख के अनुसार एक प्रमाणपत्र (कंप्लायंस सर्टिफिकेट) देंगे, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि लागू प्रावधानों का पालन कर लिया गया है।
- (15) (क) एच.वी.डी.एल.ई. जोखिम का आकलन करने तथा उसे कम करने से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में निदेशक मंडल को जानकारी देने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी।
 - (ख) निदेशक मंडल पर एच.वी.डी.एल.ई. के लिए जोखिम प्रबंधन के संबंध में योजना बनाने, उसे अमल में लाने और उस पर नज़र रखने की जिम्मेदारी होगी।
- (16) निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों का आकलन:
 - (क) इस लिहाज से भी करेगा कि निदेशकों ने अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई है; और
 - (ख) इस लिहाज से भी करेगा कि क्या वे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और क्या उनकी भूमिका में प्रबंध-मंडल के व्यक्ति दखलअंदाजी तो नहीं कर रहे:

परंतु यह कि इस प्रकार जिस दौरान जिन निदेशकों का मूल्यांकन किया जा रहा हो, उस दौरान वे निदेशक हिस्सा न लें ।

(17) आम बैठक की कार्यसूची (एजेंडा) की विशेष मद के संबंध में आम बैठक हेतु जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 की उप-धारा (1) के अनुसार लगाए जाने वाले विवरण (स्टेटमेंट) में प्रत्येक मद के संबंध में शेयरधारकों को की गई निदेशक मंडल की सिफारिश का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

कोई व्यक्ति अधिकतम कितने निदेशक पदों पर रह सकता है

- 62ङ. एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक अधिकतम कितने निदेशक पदों पर रह सकते हैं (जिनमें वे निदेशक पद भी शामिल हैं जिन पर वे वैकल्पिक रूप से हों) इस संबंध में वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे
 - (क) कोई व्यक्ति अधिक से अधिक सात सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों में निदेशक की भूमिका निभा सकेगा:

- परंतु यह कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक सात सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा सकेगा।
- (ख) उपरोक्त के होते हुए भी, जो व्यक्ति किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी में पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) / प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) की भूमिका निभा रहा हो, वह अधिक से अधिक तीन सूचीबद्ध एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा सकेगा।
 - स्पष्टीकरण (1): इस विनियम के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति कितनी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों में निदेशक / स्वतंत्र निदेशक के पद पर है, यह गणना करने के लिए सभी सूचीबद्ध एंटिटियों (जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों) और एच.वी.डी.एल.ई. को गिना जाएगा।
 - स्पष्टीकरण (2): इस विनियम के प्रयोजनार्थ, अधिकतम निदेशक पदों की गणना करते समय उन निदशक पदों को नहीं गिना जाएगा, जिन पदों पर कोई व्यक्ति महज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) संबंधी व्यवस्था के तहत बनी एंटिटियों में (किसी कानूनी प्रावधान या किसी करार आदि के तहत) किसी ओहदे पर होने की वजह से ही नियुक्त हो।
- (ग) इस विनियम के प्रावधानों का पालन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख या वार्षिक आम बैठक की तारीख (जो भी बाद में आए) से छह महीनों की अविध के भीतर करना होगा।

लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी)

- **62च.** (1) प्रत्येक एच.वी.डी.एल.ई. एक लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) गठित करेगी, लेकिन इस संबंध में नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखना होगा:
 - (क) लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के तौर पर कम से कम तीन निदेशक हों।
 - (ख) लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक हों।
 - (ग) लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय विवरणों आदि के जानकार हों, और कम से कम एक सदस्य बही खातों (अकाउंटिंग) का जानकार हो या वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में माहिर हो।
 - स्पष्टीकरण (1): इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "वित्तीय विवरणों आदि के जानकार" का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो बुनियादी तौर पर वित्तीय विवरणों [जैसे तुलनपत्र (बैलेंस-शीट), लाभ-हानि खाते और पैसा कब कितना आया व कब कितना गया इससे संबंधित विवरण (कैश-फ्लो स्टेटमेंट)] की समझ रखता हो।

स्पष्टीकरण (2):- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी सदस्य के बारे में यह तभी माना जाएगा कि वह बही-खातों (अकाउंटिंग) का जानकार है या वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में माहिर है, जब उसे वित्त (फाइनेंस) या अकाउंटिंग के क्षेत्र से जुड़ा अनुभव हो, या फिर उसके पास अकाउंटिंग से संबंधित कोई प्रमाणपत्र हो, और या फिर उसके पास ऐसा ही कोई अनुभव आदि हो जिससे यह लगे कि वह वित्तीय विवरणों आदि का जानकार है, जैसे कि वह चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर (मुख्य कार्यपालक अधिकारी), चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (मुख्य वित्तीय अधिकारी) या दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के पद पर हो या रह चुका हो (जिसने ऐसे मामलों पर नज़र रखने की जिम्मेदारियाँ संभाली हों)।

13

- (घ) लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा, और वह शेयरधारकों के सवालों के जवाब देने के लिए वार्षिक आम बैठक (साधारण बैठक) में उपस्थित रहेगा।
- (ङ) कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) लेखापरीक्षा समिति के सचिव की भूमिका निभाएगा ।
- (च) लेखापरीक्षा समिति, यदि चाहे तो, फाइनेंस (वित्त) का कार्य देखने वाले निदेशक या फाइनेंस (वित्त) संबंधी कार्य के प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा (ऑडिट) के प्रमुख और लेखापरीक्षा (स्टैटयूटरी ऑडिटर) के प्रतिनिधि तथा ऐसे किन्हीं अन्य अधिकारियों (एग्ज़िक्यूटिव) आदि को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगी:
 - परंतु यह कि कभी-कभी लेखापरीक्षा समिति एच.वी.डी.एल.ई. के किसी अधिकारी (एग्ज़िक्यूटिव) आदि की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकेगी।
- (2) एच.वी.डी.एल.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का संचालन निम्नानुसार हो:
 - (क) लेखापरीक्षा सिमिति एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी, और किन्हीं दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा दिनों का अंतर नहीं होगा।
 - (ख) लेखापरीक्षा समिति की बैठक में कोरम तब पूरा माना जाएगा, जब बैठक में लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य या फिर उसके कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य (जो भी संख्या अधिक हो, और जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हों) उपस्थित रहें।
 - (ग) लेखापरीक्षा समिति को जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हों उनसे संबंधित किसी भी कार्य आदि के संबंध में तहकीकात (अन्वेषण) करने, किसी भी कर्मचारी से जानकारी मंगाने, बाहर से कानूनी सलाह या दूसरे पेशेवर व्यक्ति की सलाह लेने और संबंधित मामलों के जानकार (विशेषज्ञता रखने वाले) बाहरी व्यक्तियों को बुलवाने (यदि वह जरूरी समझे) की शक्तियाँ लेखापरीक्षा समिति के पास होंगी।
- (3) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका वही होगी और लेखापरीक्षा समिति द्वारा उस जानकारी की समीक्षा की जाएगी, जैसा अनुसूची-II के भाग-ग में बताया गया है ।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

- 62छ. (1) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची-II के भाग-घ में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया है, वे या तो निदेशक मंडल द्वारा किए जाएँ, या फिर इनके लिए एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाए:
 - (क) समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे;
 - (ख) समिति के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव) निदेशक होंगे; और
 - (ग) निदेशकों में से कम से कम दो-तिहाई निदेशक स्वंतत्र निदेशक होंगे।
 - (2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष स्वंतत्र निदेशक होगा:

परंतु यह कि एच.वी.डी.एल.ई. के अध्यक्ष [चाहे कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) हो या गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव) हो] को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु वह इस समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।

- (3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में कोरम तब पूरा माना जाएगा, जब बैठक में दो सदस्य या फिर समिति के सदस्यों की कुल संख्या में से एक-तिहाई सदस्य उपस्थित रहें (जो भी संख्या ज्यादा हो, और जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हो)।
- (4) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष शेयरधारकों के सवालों का जवाब देने के लिए वार्षिक आम बैठक (वार्षिक साधारण बैठक) में उपस्थित रह सकेगा।
- (5) उप-विनियम (4) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष यह निर्णय ले सकेगा कि सवालों के जवाब कौन देगा।
- (6) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (7) जो एंटिटियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनी कंपनियाँ (या बॉडी कारपोरेट) न हों या सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदीरी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) के मॉडल / ढाँचे के तहत बनी न हों, उनके मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूची-II के भाग-घ में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया है वे कार्य उन पर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार या सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप) के मॉडल / ढाँचे के अनुसार किए जाएँ।

स्टेकहोल्डर (हितधारक) संबंध समिति

62ज. (1) निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची-II के भाग-घ में स्टेकहोल्डर (हितधारक) संबंध समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया है, वे या तो निदेशक मंडल द्वारा किए जाएँ या फिर इनके लिए एक स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया जाए।

- (2) स्टेकहोल्डर संबंध समिति का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव) निदेशक होगा ।
- (3) कम से कम तीन निदेशक (जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो) स्टेकहोल्डर संबंध समिति के सदस्य होंगे।
- (4) स्टेकहोल्डर संबंध समिति का अध्यक्ष डिबेंचर धारकों के सवालों का जवाब देने के लिए वार्षिक आम बैठकों (वार्षिक साधारण बैठकों) में उपस्थित रहेगा।
- (5) स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

जोखिम प्रबंधन समिति

62 झ. (1) निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची-II के भाग-घ में जोखिम प्रबंधन समिति के जिन कार्यों का जिक्र किया गया है, वे या तो लेखापरीक्षा समिति द्वारा या निदेशक मंडल द्वारा किए जाएँ अथवा इनके लिए निदेशक मंडल द्वारा इस विनियम के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति बनाई जाए।

- (2) जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से अधिकांश निदेशक मंडल के सदस्य होंगे (जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो)।
- (3) जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निदेशक मंडल का सदस्य होगा, और एच.वी.डी.एल.ई. के वरिष्ठ अधिकारी (एग्ज़िक्यूटिव) इस समिति के सदस्य बन सकेंगे।
- (4) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होंगी और दो बैठकों के बीच दो सौ दस से ज्यादा दिनों का अंतर नहीं होगा।
- (5) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में कोरम तब पूरा माना जाएगा, जब बैठक में दो सदस्य या फिर समिति के सदस्यों की कुल संख्या में से एक-तिहाई सदस्य उपस्थित रहें (जो भी संख्या ज्यादा हो, और जिसमें निदेशक मंडल का कम से कम एक सदस्य शामिल हो)।
- (6) निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका तथा जिम्मेदारी तय करेगा और इस समिति को यह जिम्मा भी सौंप सकेगा कि वह यह देखे और इसकी समीक्षा भी करे कि जोखिम कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और इसके अलावा ऐसी ही कुछ और जिम्मेदारियाँ (जैसे साइबर सुरक्षा आदि की) भी सौंप सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु यह कि जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में वह सब तो शामिल होगा ही, जिसका जिक्र अनुसूची-II के भाग-घ में किया गया है।

किसी भी कर्मचारी से जानकारी मंगाने, बाहर से कानूनी सलाह लेने या दूसरे पेशेवर व्यक्ति की सलाह लेने और संबंधित मामलों के जानकार (विशेषज्ञता रखने वाले) बाहरी व्यक्तियों को बुलवाने (यदि वह जरूरी लगे) की शक्तियाँ जोखिम प्रबंधन समिति के पास होंगी।

सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म)

62ज. (1) एच.वी.डी.एल.ई. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म) निर्धारित करेगी / पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) बनाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की रिपोर्ट की जा सके।

(2) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म) में ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि यदि गड़बड़ी की रिपोर्ट करने वाले निदेशक (निदेशकों) या कर्मचारी (कर्मचारियों) या किसी अन्य व्यक्ति को सताया जा रहा हो तो ऐसे में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले, और साथ ही ऐसा प्रावधान भी किया जाए कि उन मामलों में वे सीधे ऑडिट कमेटी (लेखापरीक्षा समिति) के अध्यक्ष से भी संपर्क साध सकें जहाँ-जहाँ जरूरी लगे।

संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन)

62ट. (1) एच.वी.डी.एल.ई. इस संबंध में नीति बनाएगी कि संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले कौन-कौन से लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) महत्त्वपूर्ण माने जाएँगे और साथ ही संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में नीति बनाएगी, जिसमें यह साफ-साफ जिक्र किया जाएगा कि कितनी रकम से अधिक के लेनदेन को महत्त्वपूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में निदेशक मंडल से भी विधिवत रूप से मंजूरी ली जाएगी, और निदेशक मंडल द्वारा ऐसी नीति की समीक्षा हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी और तदनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा (उसे अपडेट किया जाएगा):

परंतु यह कि संबंधित पक्ष (संबद्ध पक्षकार) के साथ किए गए लेनदेन (ट्रांजैक्शन) को महत्त्वपूर्ण माना जाएगा, यदि किया गया लेनदेन (किए गए लेनदेन) की रकम अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी के वार्षिक टर्नओवर (व्यापारावर्त) [सबको मिलाकर] के दस प्रतिशत (जो भी कम हो) से अधिक हो जाए।

- (2) उपरोक्त के होते हुए भी, ब्रांड के इस्तेमाल या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से संबंधित किसी लेनदेन (ट्रांजैक्शन) को महत्त्वपूर्ण माना जाएगा, यदि किया गया लेनदेन (किए गए लेनदेन) की रकम अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर एच.वी.डी.एल.ई. के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार एच.वी.डी.एल.ई. के वार्षिक टर्नओवर (सबको मिलाकर) के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाए।
- (3) संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले सभी लेनदेन और उनमें बाद में किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण बदलावों के संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी:

परंतु यह कि लेखापरीक्षा सिमिति (ऑडिट कमेटी) के जो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हों, केवल वहीं सदस्य संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन को मंजूरी प्रदान करेंगे:

परंतु यह और कि :

- (क) एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) यह निर्धारित करेगी कि किन बदलावों को "महत्त्वपूर्ण बदलाव" माना जाएगा और साथ ही संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) के महत्त्वपूर्ण होने के संबंध में तथा संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में बनाई गई नीति में इसका भी जिक्र किया जाएगा;
- (ख) संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले जिस लेनदेन में एक पक्ष सूचीबद्ध एंटिटी की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो किंतु सूचीबद्ध एंटिटी पक्ष न हो, उसके संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य या तो अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (सबको मिलाकर) के दस प्रतिशत से अधिक हो जाए;
- (ग) संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले जिस लेनदेन में एच.वी.डी.एल.ई. की सहायक कंपनी एक पक्ष हो किंतु एच.वी.डी.एल.ई. पक्ष न हो, उसके संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य या तो अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर उस सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक व्यापारावर्त (अलग-अलग) के दस प्रतिशत से अधिक हो जाए;
- (घ) संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले जिस लेनदेन में सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष हो किंतु सूचीबद्ध एंटिटी पक्ष न हो, उसके संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होगी यदि इन विनियमों का विनियम 23 और विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू हो।

स्पष्टीकरण:— ऊपर खंड (घ) में जिस सूचीबद्ध सहायक कंपनी का जिक्र किया गया है, उसकी असूचीगत सहायक कंपनियों द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी पर्याप्त होगी।

(4) लेखापरीक्षा समिति एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले लेनदेन के लिए स्थायी स्वरूप की मंजूरी प्रदान कर सकेगी, बशर्ते कि:

- (क) लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन से संबंधित एच.वी.डी.एल.ई. की नीति के अनुसार स्थायी स्वरूप की मंजूरी प्रदान करने के लिए मानदंड तय करेगी और ऐसी मंजूरी उन लेनदेन के संबंध में लागू होगी जो बार-बार किए जाते हों;
- (ख) ऐसी स्थायी स्वरूप की मंजूरी की जरूरत है या नहीं और क्या ऐसी मंजूरी प्रदान करना सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के हित में होगा, इसके बारे में लेखापरीक्षा समिति पूरी तरह सोच-विचार करने के बाद निर्णय लेगी;
- (ग) स्थायी स्वरूप की मंजूरी देते समय यह उल्लेख कर दिया जाए कि:
 - (i) किस-किस (किन-किन) संबंधित पक्ष (पक्षों) के साथ लेनदेन किया जाएगा, किस-किस तरह का लेनदेन किया जाएगा, लेनदेन की अवधि क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम तक के लेनदेन किए जा सकते हैं:
 - (ii) अंदाजन बेस प्राइस कितना होगा / मौजूदा कॉण्ट्रैक्ट किस कीमत पर किया गया है और यदि कीमत में कोई बदलाव किया जाता है, तो उसका फार्मूला क्या होगा; और
 - (iii) वे दूसरी शर्तें भी बताई जाएँगी, जो लेखापरीक्षा समिति ठीक समझे:

परंतु यह कि जहाँ पहले से ही यह अंदाजा न लगाया जा सकता हो कि संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं और उपरोक्त ब्यौरे भी उपलब्ध न हों, वहाँ ऐसे लेनदेन करने के लिए लेखापरीक्षा समिति स्थायी स्वरूप की मंजूरी प्रदान कर सकेगी, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन एक करोड़ रुपये से ज्यादा का न हो।

- (घ) लेखापरीक्षा समिति हर तिमाही में कम से कम एक बार यह समीक्षा करेगी कि जो भी स्थायी मंजूरियाँ प्रदान की गई हैं, उस प्रत्येक मंजूरी के अनुसार एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा संबंधित पक्ष के साथ कौन-कौन से लेनदेन किए गए;
- (ङ) ऐसी स्थायी स्वरूप की मंजूरियाँ एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य रहेंगी।
- (5) संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले सभी महत्त्वपूर्ण लेनदेन और उनमें बाद में किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण बदलावों [जिनका निर्धारण लेखापरीक्षा समिति द्वारा उप-विनियम (3) के तहत किया जाए] के संबंध में डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से पहले ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा और जिसके लिए डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को डिबेंचर धारकों [जिनका इश्युअर (निर्गमकर्ता) से कोई सरोकार न हो और साथ ही जिन्होंने मत डाला हो (फिर चाहे मत ऑनलाइन डाला हो) और जिनके पास मूल्य के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत से ज्यादा के डिबेंचर हों] से यह पृष्टि करवानी होगी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

(6) डिबेंचर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद, शेयरधारकों की मंजूरी संकल्प पारित करवाकर ली जाएगी।

स्पष्टीकरण (1): — यदि अनापत्ति प्रमाणपत्र के संबंध में मंजूरी न मिले, तो वह मामला शेयरधारकों की मंजूरी के लिए नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण (2): — डिबेंचर न्यासी और डिबेंचर धारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना उन सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में जरूरी होगा, जो 1 अप्रैल, 2025 से जारी की जाएँ:

परंतु यह कि 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार जो सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) मौजूद हों, उनके मामले में संबंधित पक्षों के साथ किए जा रहे या किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण लेनदेन के लिए डिबेंचर न्यासी और डिबेंचर धारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी नहीं होगा:

परंतु यह और कि संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले जिस लेनदेन में सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष हो किंतु सूचीबद्ध एंटिटी पक्ष न हो, उसके संबंध में एच.वी.डी.एल.ई. के शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी लेना और डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना [उस तरीके से जैसा इन विनियमों के विनियम 62ट के उप-विनियम (5) में बताया गया है] तब जरूरी नहीं होगा, जब इन इन विनियमों का विनियम 62ट ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू हो।

स्पष्टीकरण (3): — जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, किसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी की असूचीगत सहायक कंपनियों द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी लेनी होगी और डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा [उस तरीके से जैसा इन विनियमों के विनियम 62ट के उपविनियम (5) में बताया गया है]:

परंतु यह कि इस उप-विनियम के तहत दी हुई अपेक्षाएँ दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के संबंध में लागू नहीं होंगी, बशर्ते की मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के मंजूर होने से एक दिन के भीतर उसकी जानकारी दे दी जाए।

- (7) उप-विनियम (3), (4) और (5) के प्रावधान इन मामलों में लागू नहीं होंगे:
 - (क) दो सरकारी कंपनियों के बीच होने वाले लेनदेन के मामले में;
 - (ख) नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) [जिसके लेखे (खाते) ऐसी नियंत्री कंपनी के लेखों के साथ मिलाकर तैयार किए जाते हों और आम बैठक (साधारण बैठक) में शेयरधारकों के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए रखे जाते हों] के बीच किए जाने वाले लेनदेन के मामले में: और

(ग) सूचीबद्ध नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी की ऐसी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए जाने वाले लेनदेन के मामले में, जिनके लेखे (खाते) ऐसी नियंत्री कंपनी के लेखों के साथ मिलाकर तैयार किए जाते हों और आम बैठक (साधारण बैठक) में शेयरधारकों के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए रखे जाते हों।

स्पष्टीकरण:— इस उप-विनियम के खंड (क) के प्रयोजनार्थ "सरकारी कंपनी" का अर्थ है - वह कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में दी हुई परिभाषा के अनुसार सरकारी कंपनी हो।

- (8) इस विनियम के प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से किए जाने वाले सभी लेनदेन के मामले में लागू होंगे।
- (9) एच.वी.डी.एल.ई. संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन की जानकारी (डिस्क्लोज़र) स्टॉक एक्सचेंजों को उसी फॉर्मेट में देगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, और उसे अपनी वेबसाइट पर भी डलवाएगी:

परंतु यह कि एच.वी.डी.एल.ई. ऐसी जानकारी छमाही के अपने वित्तीय परिणामों (अलग-अलग) के साथ प्रस्तुत करेगी।

एच.वी.डी.एल.ई. की असूचीगत (अनलिस्टिड) महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) में कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस)

62ठ. (1) एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक उसकी असूचीगत (अनिलिस्टिड) महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) [फिर चाहे वह भारत में बनी हो या भारत के बाहर बनी हो] के निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा।

स्पष्टीकरण: — इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी (सब्सिडियरी)" का अर्थ होगा - वह सहायक कंपनी, जिसकी आमदनी या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) क्रमशः ठीक पहले के लेखा (ऑडिट) वर्ष में सूचीबद्ध एंटिटी और उसकी सहायक कंपनियों की आमदनी या शुद्ध-मालियत (सबको मिलाकर) के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

- (1) एच.वी.डी.एल.ई. की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा करेगी, और खास तौर पर असूचीगत महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की।
- (2) असूचीगत महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में हुई चर्चा / लिए गए निर्णयों का ब्यौरा (कार्यवृत्त / मिनट्स) एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा।

(3) असूचीगत महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी का प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) असूचीगत महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी द्वारा किए गए हर अहम लेनदेन (ट्रांजैक्शन) का ब्यौरा एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल को समय-समय पर भेजता रहेगा।

स्पष्टीकरण: — इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "अहम लेनदेन (ट्रांजैक्शन) आदि" का अर्थ होगा - लेनदेन आदि की वह रकम, जो ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में असूचीगत महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी की, यथास्थिति, कुल आमदनी या कुल खर्चों या कुल आस्तियों (असेट्स) या कुल देनदारियों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक हो या जिसके दस प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना हो।

- (4) यदि एच.वी.डी.एल.ई. अपनी असूचीगत (अनिलिस्टिड) महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के शेयरों को बेचना चाहे और उसकी वजह से या तो उसकी हिस्सेदारी (चाहे उसकी अकेले की या फिर दूसरी सहायक कंपनियों की मिलाकर) पचास प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो जाए या फिर उसकी सहायक कंपनी पर उसका जो नियंत्रण है वह उसके हाथों से निकल जाए, तो ऐसे में वह अपने शेयर अपनी आम बैठक (साधारण बैठक) में विशेष संकल्प पारित करवाए बिना नहीं बेच सकेगी, हालाँकि यदि ऐसा किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा विधिवत रूप से मंजूर की गई किसी 'इंतज़ाम की स्कीम' (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के अनुसार या फिर दिवाला संहिता (इनसॉल्वेन्सी कोड) की धारा 31 के तहत विधिवत रूप से मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार किया जाए और उसकी जानकारी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के मंजूर होने की तारीख से एक दिन के भीतर दे दी जाए, तो ऐसे में आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी।
- (5) यदि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान असूचीगत (अनिलिस्टिड) महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी की कुल-मिलाकर बीस प्रतिशत से ज्यादा की संपत्तियों आदि (असेट) को बेचा आदि जा रहा हो या पट्टे पर दिया जा रहा हो, तो ऐसे में उसके लिए विशेष संकल्प पारित करवाकर शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी लेनी होगी, हालाँकि जिन मामलों में किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा विधिवत रूप से मंजूर की गई किसी 'इंतजाम की स्कीम' (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के अनुसार या फिर दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) की धारा 31 के तहत विधिवत रूप से मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार ऐसा किया जाए और उसकी जानकारी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के मंजूर होने की तारीख से एक दिन के भीतर दे दी जाए, उन मामलों में विशेष संकल्प पारित करवाकर शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
- (6) जहाँ एच.वी.डी.एल.ई. की सूचीबद्ध (लिस्टिड) सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) खुद एक नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी भी हो, वहाँ इस विनियम के प्रावधान सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होंगे (जहाँ तक उसकी सहायक कंपनियों का संबंध है)।

सेक्रेटेरियल ऑडिट और सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट

- 62ड. (1) प्रत्येक एच.वी.डी.एल.ई. और भारत में बनी उसकी महत्त्वपूर्ण असूचीगत (अनिलिस्टिड) सहायक कंपनियाँ (सब्सिडियरी) सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएंगी, और पेशे में लगे कंपनी सिचव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी गई सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में, सूचीबद्ध एंटिटी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लगाएँगी।
- (2) एच.वी.डी.एल.ई., प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों के पास सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में प्रस्तुत करेगी।

स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएँ

- **62ढ.** (1) एच.वी.डी.एल.ई. के स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर किसी भी व्यक्ति को वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (2) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा उतनी अवधि का होगा, जितनी अवधि का जिक्र कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में किया गया है।
- (3) एच.वी.डी.एल.ई. के किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किए जाने, उसे फिर से नियुक्त किए जाने या उसे हटाए जाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित करवाकर लेनी होगी:

परंतु यह कि यदि स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किए जाने के संबंध में लाए जाने वाले विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) को जरूरी बहुमत न मिल पाए, किंतु संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो और 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा उस संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या उस उप-विनियम (3) के तहत उस स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त कर लिया गया है:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के तहत नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक को तभी हटाया जाएगा, जब उस स्वतंत्र निदेशक को हटाए जाने का प्रस्ताव करते हुए लाए गए संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो और 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा उस संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या उस संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो।

- (4) एच.वी.डी.एल.ई. के स्वतंत्र निदेशक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ऐसी एक बैठक करेंगे, जिनमें न तो वे निदेशक मौजूद रहेंगे जो स्वतंत्र निदेशक न हों और न ही प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के सदस्य मौजूद रहेंगे, और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में मौजूद रहने का भरसक प्रयास करेंगे।
- (5) उप-विनियम (4) में जिस बैठक का जिक्र किया गया है, उसमें स्वतंत्र निदेशक -
 - क) यह समीक्षा भी करेंगे कि निदेशकों (जो स्वतंत्र निदेशक न हों) और निदेशक मंडल
 (निदेशक बोर्ड) ने अपनी भूमिका कैसे निभाई;
 - ख) यह समीक्षा भी करेंगे कि एच.वी.डी.एल.ई. के अध्यक्ष ने अपनी भूमिका कैसे निभाई, और ऐसा करते समय कार्यकारी निदेशकों (एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर) और गैर-कार्यकारी निदेशकों (नॉन-एग्जिक्यूटिव डाइरेक्टर) की राय पर भी विचार करेंगे;
 - ग) यह आकलन करेंगे कि एच.वी.डी.एल.ई. के प्रबंध-मंडल और निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच जिस तरह की जानकारी का आदान-प्रदान किया गया, जितनी बार जानकारी का आदान-प्रदान किया गया और जब-जब जानकारी का आदान-प्रदान किया गया, क्या उससे निदेशक मंडल के सदस्य अपने कर्तव्यों का बखूबी ढंग से निर्वहन कर पाए।
- (6) एच.वी.डी.एल.ई. ने जो कुछ भी किया हो या करने में जो भी चूक की हो, उन मामलों में स्वतंत्र निदेशक को केवल उन्हीं बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो या तो उसके संज्ञान में आई हों या फिर जिसमें एक प्रक्रिया के तहत निदेशक मंडल के सदस्यों की भागीदारी रही हो और या फिर जिसके संबंध में उसकी सहमति या मौन सहमति रही हो, और या फिर उसने इन विनियमों के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करने में चूक की हो।
- (7) जो स्वतंत्र निदेशक एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दे या जिसे एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल से हटा दिया जाए, उस स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा एक नया स्वतंत्र निदेशक इस प्रकार पद खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यह कि जिन मामलों में इस तरह से स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या उसे हटाए जाने की वजह से पद खाली होने के बावजूद भी एच.वी.डी.एल.ई. के निदेशक मंडल में जितने स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उतने हो रहे हों, तो उन मामलों में उस खाली पद की जगह नए स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करना जरूरी नहीं होगा।

- (8) एच.वी.डी.एल.ई. स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एच.वी.डी.एल.ई. के बारे में जानकारी देगी, जिनमें उन्हें यह भी बताया जाएगा कि :
 - क) एच.वी.डी.एल.ई. किस उद्योग क्षेत्र का कार्य करती है;
 - ख) एच.वी.डी.एल.ई. के कारोबार का मॉडल क्या है;

- ग) स्वतंत्र निदेशकों की क्या भूमिका है, उनके क्या अधिकार हैं और उनकी क्या-क्या
 जिम्मेदारियाँ हैं; और
- घ) कोई अन्य जानकारी देगी, जो देनी जरूरी हो ।
- (9) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की पहली बैठक में (जिसमें वह बतौर निदेशक हिस्सा ले) और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी भी परिस्थितियों में हुए किसी बदलाव की वजह से बतौर स्वतंत्र निदेशक उसके ओहदे पर असर पड़ सकता हो, तब-तब यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह विनियम 62घ के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निर्धारित किए हुए पैमानों पर खरा उतरता है, और यह कि उसे ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है, जो उत्पन्न हो चुकी हो या जो आगे चलकर उत्पन्न हो सकती हो और जिसकी वजह से यह माना जा सकता हो कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर व बिना किसी बाहरी दबाव के नहीं कर सकता।
- (10) एच.वी.डी.एल.ई. का निदेशक मंडल पहले यह परखेगा कि उप-विनियम (9) के तहत स्वतंत्र निदेशक ने जो घोषणा प्रस्तुत की है या जो स्पष्टीकरण दिया है, वह सही है या नहीं, और फिर उसका रिकॉर्ड भी रखेगा।
- (11) एच.वी.डी.एल.ई. अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों का बीमा ['निदेशकों और अधिकारियों का बीमा' ('डी एवं ओ बीमा')] उतनी रकम का करवाएगी और उन जोखिमों हेतु करवाएगी, जैसा भी निर्णय उसके निदेशक मंडल द्वारा लिया गया हो।
- (12) जो भी स्वतंत्र निदेशक एच.वी.डी.एल.ई. से त्यागपत्र दे दे, उसे उस एच.वी.डी.एल.ई., उसकी होल्डिंग (नियंत्री) कंपनी, सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी के बोर्ड में या उसके संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की किसी कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डाइरेक्टर) / पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अविध न बीत जाए।

कर्मचारियों [जिनमें वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल) के व्यक्ति, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल), निदेशक और संप्रवर्तक (प्रोमोटर) शामिल हैं] के दायित्व

62ण. (1) कोई निदेशक जिन सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों में निदेशक पद पर हो, उनकी दस से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं बनेगा या पाँच से ज्यादा समितियों का अध्यक्ष नहीं बनेगा, और जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

- क) सिमितियों की गिनती करते समय सभी पब्लिक लिमिटेड कंपिनयों [फिर चाहे वे सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या न हों] और एच.वी.डी.एल.ई. की सिमितियों को गिना जाएगा, और अन्य सभी कंपिनयों (जिनमें शामिल हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपिनयाँ, विदेशी कंपिनयाँ और कंपिन अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत बनी कंपिनयाँ) की सिमितियों को नहीं गिना जाएगा;
- ख) इसके अलावा यह गणना लेखापरीक्षा समिति और स्टेकहोल्डर संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता के संदर्भ में ही की जाएगी।
- (2) प्रत्येक निदेशक एच.वी.डी.एल.ई. को यह सूचित करेगा कि वह दूसरी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों / एच.वी.डी.एल.ई. की समितियों में किन पदों पर हैं, और तो और वह इस संबंध में कोई बदलाव होने पर भी एच.वी.डी.एल.ई को सूचित करेगा।
- (3) निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल) के सभी व्यक्ति वार्षिक आधार पर यह पृष्टि करेंगे कि निदेशक मंडल के सदस्यों हेतु और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन किया जा रहा है।
- (4) वरिष्ठ प्रबंध-मंडल निदेशक मंडल को उन समस्त महत्त्वपूर्ण लेनदेन की जानकारी (डिस्क्लोज़र) देगा, फिर चाहे वे लेनदेन पैसों में हों या फिर कारोबारी लेनदेन हो जिनसे उनका निजी हित जुड़ा हुआ हो और जिसकी वजह से व्यापक स्तर पर एच.वी.डी.एल.ई. के हितों से टकराव (हित-विरोध) होने की गुंजाइश हो।

स्पष्टीकरण:— इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, हितों में टकराव (हित-विरोध) होने का अर्थ है - उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के शेयरों में लेनदेन (डीलिंग) करना या उन कंपनियों (बॉडी) के साथ कारोबारी लेनदेन करना, जिनके शेयर प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों और उनके नातेदारों आदि के पास हों।

(5) एच.वी.डी.एल.ई. का कोई भी कर्मचारी [जिसमें प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल) या निदेशक या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) भी शामिल हैं] अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से, किसी शेयरधारक या किसी दूसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के साथ उस एच.वी.डी.एल.ई. की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले लेनदेन (डीलिंग्स) के संबंध में किसी भी तरह का कोई मुनाफा आदि साझा करने के सिलसिले में तब तक कोई करार (एग्रीमेंट) नहीं करेगा, जब तक कि इस संबंध में निदेशक मंडल से और 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) से साधारण संकल्प पारित करवाकर पहले ही मंजूरी न ले ली जाए:

परंतु यह कि इस उप-विनियम के लागू होने की तारीख से पहले की तीन वर्षों की अवधि के दौरान किए गए ऐसे करार (एग्रीमेंट) [फिर चाहे मौजूद हो या समाप्त हो चुका हो] की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देनी होगी, ताकि यह जानकारी जनता तक पहुँच सके: परंतु यह और कि इस उप-विनियम के लागू होने की तारीख को, यदि ऐसा कोई मौजूदा करार (एग्रीमेंट) हो, तो ऐसे में उसे निदेशक मंडल के समक्ष मंजूरी हेतु बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा:

परंतु यह और कि यदि निदेशक मंडल ऐसे करार (एग्रीमेंट) को मंजूरी प्रदान कर दे, तो उसे अगली आम बैठक (साधारण बैठक) में 'आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारकों' (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के समक्ष मंजूरी हेतु रखा जाएगा और यह मंजूरी संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित करवाकर लेनी होगी:

परंतु यह और कि करार (एग्रीमेंट) के तहत जिन भी व्यक्तियों का हित लेनदेन (ट्रांजैक्शन) से जुड़ा हुआ हो, वे आम बैठक (साधारण बैठक) में मतदान नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों 'जिन भी व्यक्तियों का हित लेनदेन (ट्रांजैक्शन) से जुड़ा हुआ हो' का अर्थ है - ऐसा व्यक्ति, जिसके एच.वी.डी.एल.ई. में मताधिकार हों और जिसका हित किए गए किसी करार (एग्रीमेंट) या किए जाने वाले किसी करार से किसी भी रूप से (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) जुड़ा हुआ हो, फिर भले ही वह करार उस व्यक्ति द्वारा या उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के किसी कर्मचारी द्वारा या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनजेरियल पर्सोनल) द्वारा या निदेशक द्वारा या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा किसी शेयरधारक या किसी दूसरे व्यक्ति (थर्ड पार्टी) के साथ ऐसी सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में मुनाफा आदि साझा करने के सिलसिले में किया गया हो।

प्रबंध-मंडल के कुछ मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) की श्रेणी में खाली पद

62त. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) या प्रबंधक का यदि कोई पद खाली हो, तो वह पद एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि जहाँ एच.वी.डी.एल.ई. के लिए ऐसे खाली पदों को भरने के संबंध में विनियामक (रेग्यूलेटरी), सरकारी या सांविधिक प्राधिकरणों से मंजूरी लेना जरूरी हो, वहाँ ऐसे खाली पद एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा जल्द से जल्द भरे जाएँगे, और जो खाली होने की तारीख से छह महीनों के भीतर भरने ही होंगे:

परंतु यह और कि एच.वी.डी.एल.ई. इस खाली पद पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए तब तक नियुक्त नहीं करेगी, जब तक इस प्रकार की जाने वाली नियुक्ति इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार न की जाए, और उन कानूनी प्रावधानों में जिन दायित्वों का जिक्र है वे उस व्यक्ति के मामले में लागू न हों ।

(2) मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) का यदि कोई पद खाली हो, तो वह पद एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि जहाँ एच.वी.डी.एल.ई. के लिए ऐसे खाली पद को भरने के संबंध में विनियामक (रेग्यूलेटरी), सरकारी या सांविधिक प्राधिकरणों से मंजूरी लेना जरूरी हो, वहाँ ऐसा खाली पद एच.वी.डी.एल.ई. द्वारा जल्द से जल्द, किंतु पद खाली होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, भरा जाएगा:

परंतु यह और कि एच.वी.डी.एल.ई. इस खाली पद पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए तब तक नियुक्त नहीं करेगी, जब तक इस प्रकार की जाने वाली नियुक्ति इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार न की जाए, और उन कानूनी प्रावधानों में जिन दायित्वों का जिक्र है वे उस व्यक्ति के मामले में लागू न हों।

कंपनी संचालन (कंपनी शासन / कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी अन्य अपेक्षाएँ

62थ. (1) एच.वी.डी.एल.ई., यदि चाहे तो, अनुसूची–II के भाग-ङ में जो कुछ भी बताया गया है, वह कर सकेगी ।

- (2) (क) एच.वी.डी.एल.ई. कंपनी संचालन से संबंधित मानदंडों के पालन के संबंध में समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट संबंधित अविध के समाप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने जाने वाले फॉर्मेट में, प्रस्तुत करेगी।
- (ख) संबंधित पक्षों (संबद्ध पक्षकारों / रिलेटेड पार्टी) के साथ किए गए समस्त महत्त्वपूर्ण लेनदेन के ब्यौरे उस रिपोर्ट के साथ दिए जाएँगे, जिसका जिक्र इस उप-विनियम के खंड (क) में किया गया है।
- (ग) साइबर हमलों से संबंधित घटनाओं आदि अथवा डाटा या दस्तावेजों के नष्ट हो जाने की जानकारी उस रिपोर्ट के साथ दी जाएगी, जिसका जिक्र इस उप-विनियम के खंड (क) में किया गया है।
- (घ) उप-विनियम (2) के खंड (क) में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, उस पर या तो एच.वी.डी.एल.ई. के अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) द्वारा या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(3) एच.वी.डी.एल.ई. वार्षिक रिपोर्ट में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के खंड (च) के अनुसार बिजनेस रिसपॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनिबिलिटी रिपोर्ट (ईएसजी के मानदंडों के अनुसार), बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में, प्रस्तुत कर सकेगी।"

(7) अनुसूची-II में,-

- (i) भाग-क के शीर्षक में, शब्द, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 17(7)" के बाद, शब्द, अक्षर, अंक तथा चिह्न "और विनियम 62घ(13)" जोड़े जाएँगे:
- (ii) भाग-ख के शीर्षक में, शब्द, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 17(8)" के बाद, शब्द, अक्षर, अंक तथा चिह्न "और विनियम 62घ(14)" जोड़े जाएँगे;
- (iii) भाग-ग के शीर्षक में, शब्द, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 18(3)" के बाद, शब्द, अक्षर, अंक तथा चिह्न "और विनियम 62च" जोड़े जाएँगे;
- (iv) भाग-घ के शीर्षक में, अंकों तथा चिह्नों "20(4)" के बाद दिया हुआ शब्द "एवं" के स्थान पर चिह्न "," आ जाएगा, और शब्द, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 19(4), 20(4), 21(4)" के बाद, चिह्न, अंक तथा अक्षर ", 62छ, 62ज एवं 62झ" जोड़े जाएँगे; और
- (v) भाग-घ में, पैरा-ख में, खंड (4) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(5) भार (चार्ज) सृजित करने, ब्याज / मूलधन की रकम के भुगतान, जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखने और किन्हीं दूसरी शर्तों आदि (कोविनेन्ट) के संबंध में डिबेंचर धारकों (डिबेंचर होल्डर्स) की शिकायतों का निवारण करना।"

प्रमोद राव, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./1119/2024-25]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:

- क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
- ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
- ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
- घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
- ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./ एन.आर.ओ./जी.एन./ 2016-17/029, द्वारा
- च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित], द्वारा
- छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2018/13, द्वारा

- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/28, द्वारा
- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा
- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा

- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा
- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा
- जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा
- झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा
- ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा
- टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2023/131, द्वारा

- डड) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ढढ) 23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2023/149, द्वारा
- णण) 19 सितम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2023/151, द्वारा
- तत) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155, द्वारा
- थथ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158, द्वारा
- दद) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2023/161, द्वारा
- धध) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/177, द्वारा
- नन) 8 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/189, द्वारा
- पप) 12 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/218, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th March, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/239.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with section 31 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette:
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
 - (1) in regulation 3, in sub-regulation (2), in clause (b), in the proviso, after the words and symbol "Business Responsibility and Sustainability Report and/or" and before the words "as per the Business Responsibility", the word "assurance" shall be substituted with the words "assessment or assurance of the specified parameters";
 - (2) in regulation 15,
 - (a) in sub-regulation (1A), after the words "non-convertible debt securities of" and before the words "and above", the words "Rupees Five Hundred Crore" shall be substituted with the words "Rupees One Thousand Crore";
 - (b) the proviso to sub-regulation (1A) shall be substituted with the following, namely,-
 - "Provided that in case the value of the outstanding listed non-convertible debt securities becomes equal to or greater than the specified threshold of Rupees One Thousand Crore during the course of the year, a high value debt listed entity shall ensure compliance with these provisions within six months from the date of such trigger, and the disclosures of such compliance may be made in the corporate governance compliance report on and from the third quarter following the date of the trigger."
 - (c) after explanation (4) to the sub-regulation (1A), the following explanation shall be inserted, namely,-
 - "Explanation (5) In case a 'high value debt listed entity' has its specified securities listed, it shall comply with the provisions of regulation 15 to regulation 27 of these regulations."
 - (d) after sub-regulation (1A) and before sub-regulation (1B), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
 - "(1AA) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3) of regulation 3, once the regulation 15 to 27 become applicable to a 'high value debt listed entity', the said regulations continue to apply till value of the outstanding listed debt securities as on March 31 in a year, reduces and remains below the specified threshold for a period of three consecutive financial years."
 - (e) in sub-regulation (2), after clause (b), the following provisos shall be inserted, namely, -
 - "Provided that with effect from April 01, 2025, the provisions of regulation 23 shall be applicable in respect of a listed entity which has listed its specified securities on the SME Exchange and which has either paid up equity share capital exceeding Rupees ten crore or net worth exceeding Rupees twenty-five crore, as on the last day of the previous financial year:

Provided further that where the provisions of regulation 23 become applicable at a later date to a listed entity which has listed its specified securities on the SME Exchange, it shall ensure compliance with the same within six months from such date:

Provided further that once the provisions of regulation 23 become applicable to a listed entity which has listed its specified securities on the SME Exchange, they shall continue to remain applicable till such time the equity share capital and the net-worth of such entity reduces and remains below the specified threshold for a period of three consecutive financial years."

- (f) in regulation 17A,
 - (i) the explanation shall be numbered as (1);
 - (ii) in newly numbered explanation (1), after the words "independent director", the words "shall be only those whose equity shares are listed on a stock exchange" shall be substituted with the words "shall be cumulative of those whose equity shares are listed on a stock exchange and 'high value debt listed entities'.
 - (iii) after newly numbered explanation (1), the following explanation and proviso shall be inserted, namely,-

"Explanation (2) — For the purpose of this regulation, the directorship(s) held by a person on an ex-officio basis due to statute or applicable contractual framework in case of public sector undertakings and entities set up under a public private partnership arrangement shall not be included in calculating the maximum number of directorships:

Provided that nothing in this provision relating to HVDLE shall come into effect for a period of six months from the date of publication of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 in the Official Gazette or the date of Annual General Meeting, whichever is later.

- (3) in regulation 23, in sub-regulation (1),
- (a) in proviso, the symbol "." shall be replaced with the symbol ":";
- (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that with effect from April 01, 2025, in case of a listed entity which has listed its specified securities on the SME Exchange, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds Rupees fifty crore or ten per cent. of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower."

- (4) in regulation 26, in sub-regulation (1), in clause (a), the words ", 'high value debt listed entities'" shall be deleted.
- (5) in regulation 34, in sub-regulation (2), in clause (f), -
 - (a) in the proviso, after the words "Provided that the" and before the words "the Business Responsibility", the words "assurance of" shall be substituted with the words "assessment or assurance of the specified parameters as per";
 - (b) in the second proviso, after the words "disclosures and obtain" and before the words "as per the Business Responsibility", the word "assurance" shall be substituted with the words "the assessment or assurance of the specified parameters".
 - (c) in the third proviso, after the words "may voluntarily obtain the" and before the words "the Business Responsibility and Sustainability Report", the words "assurance of" shall be substituted with the words "assessment or assurance of the specified parameters as per";

(6) After Chapter V, a new Chapter VA shall be inserted, namely-

"CHAPTER VA

CORPORATE GOVERNANCE NORMS FOR A LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES

Definitions

- **62B.** (1) For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires-
 - (a) "control" shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; and
 - (b) "independent director" shall have the same meaning as assigned to it under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16 of these regulations:

Provided that in case of a listed entity which is a body corporate, mandated to constitute its board of directors in the manner specified under the law under which it is established or is an entity set up under the public private partnership model/structure, the non- executive directors, other than a nominee director of such entity on its board of directors, shall be treated as independent directors.

- (c) "public private partnership" shall mean a public-private partnership between a public concessioning authority and a private special purpose vehicle concessionaire selected on the basis of open competitive bidding or on the basis of an Memorandum of Understanding with the relevant authorities.
- (d) "senior management" shall have the same meaning as assigned to it under clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 16 of these regulations.

Applicability.

- **62C.** (1) The provisions of this chapter shall apply to a listed entity which only has non-convertible debt securities listed, with an outstanding value of Rupees One Thousand Crore and above and does not have any listed specified securities.
 - **Explanation** (1): The 'high value debt listed entities' shall be determined on basis of value of principal outstanding of listed debt securities as on March 31, 2025, irrespective of the date of notification of this amendment.
 - **Explanation** (2): The entities falling in sub-regulation (1) of the regulation 62C shall be referred to a 'high value debt listed entity' (HVDLE) for the purpose of this chapter:
 - Provided that in case the value of the outstanding listed non-convertible debt securities becomes equal to or greater than the specified threshold of Rupees One Thousand Crore during the financial year, it shall ensure compliance with these provisions within six months from the date of such trigger and the disclosures of such compliance may be made in corporate governance compliance report on and from third quarter, following the date of the trigger.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3) of regulation 3, once the provisions of this Chapter become applicable to a 'high value debt listed entity', the said regulations shall continue apply till the value of the outstanding listed debt securities as on March 31 in a year, reduces and remains below the specified threshold for a period of three consecutive financial years.
 - *Explanation*: —The provisions of this sub-regulation shall become applicable with effect from April 01, 2025.
- (3) Notwithstanding anything contained in this regulation, in case of an Infrastructure Investment Trust registered under the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, the governance norms specified under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 shall be applicable.
- (4) Notwithstanding anything contained in this regulation, in case of a Real Estate Investment Trust registered under the provisions of Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trust) Regulations, 2014, the governance norms specified under the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trust) Regulations, 2014 shall be applicable.

- (5) The provisions as specified in regulation 62D shall not be applicable during the period in which a HVDLE is undergoing corporate insolvency resolution process under the Insolvency Code:
 - Provided that the roles and responsibilities of the board of directors as specified under regulation 62D shall be fulfilled by the interim resolution professional or resolution professional in accordance with sections 17 or 23 of the Insolvency Code, as the case may be.
- (6) The provisions as specified in regulations 62F, 62G, 62H and 62I shall not be applicable during the period in which a HVDLE is undergoing corporate insolvency resolution process under the Insolvency Code:
 - Provided that the roles and responsibilities of the committees specified in the respective regulations shall be fulfilled by the interim resolution professional or resolution professional in accordance with section 17 or section 23 of the Insolvency Code, as the case may be.
- (7) Notwithstanding the provisions of this chapter, the provisions of Companies Act, 2013 shall continue to apply, wherever applicable.

Board of Directors

62D. (1) The composition of board of directors of a HVDLE shall be as follows:

- (a) board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty per cent. of the board of directors shall comprise of non-executive directors;
- (b) where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors:

Provided that where the non-executive chairperson is a promoter of the listed entity or is related to any promoter or person occupying management positions at the level of board of director or at one level below the board of directors, at least half of the board of directors of the listed entity shall consist of independent directors.

Explanation: — For the purpose of this clause, the expression "related to any promoter" shall have the following meaning:

- (i) if the promoter is a listed entity, its directors other than the independent directors, its employees or its nominees shall be deemed to be related to it;
- (ii) if the promoter is an unlisted entity, its directors, its employees or its nominees shall be deemed to be related to it.
- (2) No HVDLE shall appoint a person or continue the directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of seventy five years unless a special resolution is passed to that effect, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such a person.
- (3) The HVDLE shall ensure that approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors or as a manager is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier:

Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the board of directors or as a Manager is taken at the next general meeting:

Provided further that the appointment or a re-appointment of a person, including as a managing director or a whole-time director or a manager, who was earlier rejected by the shareholders at a general meeting, shall be done only with the prior approval of the shareholders:

Provided further that the statement referred to under sub-section (1) of section 102 of the Companies Act, 2013, annexed to the notice to the shareholders, for considering the appointment or re-appointment of such a person earlier rejected by the shareholders shall contain a detailed explanation and justification by the nomination and remuneration committee (if constituted) and the board of directors for recommending such a person for appointment or re-appointment.

(4) The continuation of a director serving on the board of directors of a listed entity shall be subject to the approval of the shareholders in a general meeting at least once in every five years from the date of their appointment or reappointment, as the case may be:

Provided that the continuation of the director serving on the board of directors of a HVDLE as on March 31, 2025, without the approval of the shareholders for the last five years or more shall be subject to the approval of shareholders in the first general meeting to be held after March 31, 2025:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to the Whole-Time Director, Managing Director, Manager, Independent Director or a Director retiring as per the subsection (6) of section 152 of the Companies Act, 2013, if the approval of the shareholders for the reappointment or continuation of the aforesaid directors or Manager otherwise provided for by the provisions of these regulations or the Companies Act, 2013 has been complied with:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to the director appointed pursuant to the order of a Court or a Tribunal or a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code or to a nominee director of the Government on the board of a listed entity, other than a public sector company, or to a nominee director of a financial sector regulator on the board of a listed entity or to a director appointed under the public private partnership model/structure:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to a director nominated by a financial institution registered with or regulated by the Reserve Bank of India under a lending arrangement in its normal course of business or nominated by a debenture trustee registered with the Board under a subscription agreement for the debentures issued by the HVDLE.

(5) Any vacancy in the office of a director shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that if the HVDLE becomes non-compliant with the requirement under sub-regulation (1) of this regulation, due to expiration of the term of office of any director, the resulting vacancy shall be filled by the listed entity not later than the date of such office is vacated:

Provided further that this sub-regulation shall not apply if the HVDLE fulfils the requirement under sub-regulation (1) of this regulation without filling the vacancy.

- (6) The board of directors shall meet at least four times a year, with a maximum time gap of one hundred and twenty days between any two meetings.
- (7) The quorum for every meeting of the board of directors shall be one-third of its total strength or three directors, whichever is higher, including at least one independent director.
 - *Explanation*:— For removal of doubts, it is clarified that the participation of the directors by video conferencing or by other audio-visual means shall also be considered for the purposes of such quorum.
- (8) The board of directors shall periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the HVDLE, prepared by the HVDLE as well as steps taken by the HVDLE to rectify instances of non-compliances.
- (9) The board of directors of the HVDLE shall satisfy itself that plans are in place for orderly succession by appointment to the board of directors and senior management.
- (10) The board of directors shall lay down a code of conduct suitably incorporating the duties of independent directors as laid down in the Companies Act, 2013 for all members of board of directors and senior management of the HVDLE.
- (11) (a) The board of directors shall recommend all fees or compensation, if any, paid to non-executive directors, including independent directors and shall require approval of shareholders in general meeting.
 - (b) The requirement of obtaining approval of shareholders in general meeting shall not apply to payment of sitting fees to non-executive directors, if made as per the Companies Act, 2013 for payment of sitting fees without approval of the Central Government.
 - (c) The approval of shareholders mentioned in clause (a) of this sub-regulation, shall specify the limits for the maximum number of stock options that may be granted to non-executive directors, in any financial year and in aggregate.
 - (d) The approval of shareholders by special resolution shall be obtained every year, in which the annual remuneration payable to a single non-executive director exceeds fifty per cent. of the total annual remuneration payable to all non-executive directors, giving details of the remuneration thereof.
 - (e) Independent directors shall not be entitled to any stock option.

- (12) The fees or compensation payable to executive directors who are promoters or members of the promoter group, shall be subject to the approval of the shareholders by special resolution in general meeting, if-
 - (i) the annual remuneration payable to such executive director exceeds Rupees 5 crore or 2.5 per cent. of the net profits of the listed entity, whichever is higher; or
 - (ii) where there is more than one such director, the aggregate annual remuneration to such directors exceeds 5 per cent. of the net profits of the HVDLE:

Provided that the approval of the shareholders under this provision shall be valid only till the expiry of the term of such director.

Explanation: — For the purposes of this clause, net profits shall be calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013.

- (13) The information specified in Part A of Schedule II shall be placed before the board of directors.
- (14) The chief executive officer and the chief financial officer of the HVDLE shall provide the compliance certificate to the board of directors as specified in Part B of Schedule II.
- (15) (a) The HVDLE shall lay down procedures to inform the board of directors about risk assessment and minimization procedures.
 - (b) The board of directors shall be responsible for framing, implementing and monitoring the risk management plan for the HVDLE.
 - (16) The board of directors shall evaluate independent directors on the following parameters:
 - (a) performance of the directors; and
 - (b) fulfillment of the independence criteria as specified in these regulations and their independence from the management:

Provided that in the above evaluation, the directors who are subject to evaluation shall not participate.

(17) The statement to be annexed to the notice as referred to in sub-section (1) of section 102 of the Companies Act, 2013 for each item of special business to be transacted at a general meeting shall also set forth clearly the recommendation of the board of directors to the shareholders on each items.

Maximum number of directorships.

- **62E.** The directors of HVDLE shall comply with the following conditions with respect to the maximum number of directorships, including any alternate directorships held by them at any point of time -
- (a) A person may act as a director in not more than seven listed entities:Provided that a person may serve as an independent director in not more than seven listed entities.
- (b) Notwithstanding the above, any person who is serving as a whole time director/ managing director in any listed entity may serve as an independent director in not more than three listed entities.
 - **Explanation** (1): For the purpose of this regulation, the number of listed entities on which a person is a director / independent director shall be cumulative of those whose equity shares are listed on a stock exchange and "high value debt listed entities".
 - **Explanation** (2):— For the purpose of this regulation, the directorship(s) held by a person on an ex-officio basis due to statute or applicable contractual framework in case of public sector undertakings and entities set up under a public private partnership arrangement shall not be included in the maximum number of directorships"
- (c) The provisions of this regulation shall be complied with within six months from the date of the publication of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 in the Official Gazette or the date of Annual General Meeting, whichever is later.

Audit Committee.

62F. (1) Every HVDLE shall constitute an audit committee subject to the following terms of reference:

- (a) The audit committee shall have minimum three directors as members.
- (b) At least two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors.
- (c) All members of audit committee shall be financially literate and at least one member shall have accounting or related financial management expertise.

Explanation (1): — For the purpose of this regulation, "financially literate" shall mean the ability to read and understand basic financial statements i.e., balance sheet, profit and loss account, and statement of cash flows.

Explanation (2): — For the purpose of this regulation, a member shall be considered to have accounting or related financial management expertise if he or she possesses experience in finance or accounting, or requisite professional certification in accounting, or any other comparable experience or background which results in the individual's financial literacy, including being or having been a chief executive officer, chief financial officer or other senior officer with financial oversight responsibilities.

- (d) The chairperson of the audit committee shall be an independent director and he/she shall be present at Annual general meeting to answer queries of the shareholders.
- (e) The company secretary shall act as the secretary to the audit committee.
- (f) The audit committee, at its discretion, shall invite the director or head of the finance function, head of internal audit and a representative of the statutory auditor and any other such executives to be present at the meetings of the committee:

Provided that occasionally, the audit committee may meet without the presence of any executives of the HVDLE.

- (2) The HVDLE shall ensure that the meetings of the audit committee are conducted in the following manner:
 - (a) The audit committee shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall elapse between two consecutive meetings.
 - (b) The quorum for audit committee meeting shall either be two members or one third of the members of the audit committee, whichever is greater, with at least two independent directors.
 - (c) The audit committee shall have powers to investigate any activity within its terms of reference, seek information from any employee, obtain outside legal or other professional advice and secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
 - (3) The role of the audit committee and the information to be reviewed by the audit committee shall be as specified in Part C of Schedule II.

Nomination and remuneration committee.

62G. (1) The board of directors shall ensure that the functions of the nomination and remuneration committee as specified in Part D of the Schedule II are either discharged by the board of directors or, a nomination and remuneration committee is constituted as follows:

- (a) the committee shall comprise of at least three directors;
- (b) all directors of the committee shall be non-executive directors; and
- (c) at least two-thirds of the directors shall be independent directors.
- (2) The chairperson of nomination and remuneration committee shall be an independent director:

Provided that the chairperson of the HVDLE, whether executive or non-executive, may be appointed as a member of the nomination and remuneration committee and shall not chair such committee.

- (3) The quorum for a meeting of the nomination and remuneration committee shall be either two members or one third of the members of the committee, whichever is greater, including at least one independent director.
- (4) The chairperson of the nomination and remuneration committee may be present at the annual general meeting, to answer the shareholders' queries.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), it shall be the discretion of the chairperson to decide as to who may answer the queries.
- (6) The nomination and remuneration committee shall meet at least once in a year.
- (7) In case of entities that are not companies or body corporates incorporated under the Companies Act, 2013 or set up under the public private partnership model/ structure, function of the nomination and remuneration committee as specified under Part D of Schedule II may be ensured as per the provisions of their respective statutes or in terms of the public private partnership model/ structure.

Stakeholders Relationship Committee.

- **62H.** (1) The board of directors shall ensure that the functions of the stakeholders relationship committee as specified in Part D of the Schedule II are discharged by the board of directors or a Stakeholders Relationship Committee is constituted to discharge such functions.
- (2) The chairperson of stakeholders relationship committee shall be a non-executive director.
- (3) At least three directors, with at least one being an independent director, shall be members of the stakeholders relationship committee.
- (4) The chairperson of stakeholders relationship committee shall be present at the annual general meetings to answer queries of the debenture holders.
- (5) The stakeholders relationship committee shall meet at least once in a year.

Risk Management Committee.

- **62I.** (1) The board of directors shall ensure that the functions of the Risk Management Committee as specified in Part D of the Schedule II are discharged by audit committee or by the board of directors or a risk management committee constituted by the board of directors as per this regulation.
- (2) The risk management committee shall have minimum three members with majority of them being members of the board of directors, including at least one independent director.
- (3) The chairperson of the risk management committee shall be a member of the board of directors and senior executives of the HVDLE may be members of the committee.
- (4) The risk management committee shall meet at least twice in a year and not more than two hundred and ten days shall elapse between any two consecutive meetings.
- (5) The quorum for a meeting of the risk management committee shall be either two members or one third of the members of the committee, whichever is higher, including at least one member of the board of directors in attendance.
- (6) The board of directors shall define the role and responsibility of the risk management committee and may delegate monitoring and reviewing of the risk management plan to the committee and such other functions as it may deem fit including cyber security:
 Provided that the role and responsibilities of the risk management committee shall mandatorily include the performance of functions specified in Part D of Schedule II.
- (7) The risk management committee shall have powers to seek information from any employee, obtain outside legal or other professional advice and secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Vigil mechanism.

- **62J.** (1) The HVDLE shall formulate a vigil mechanism/ whistle blower policy for directors and employees to report genuine concerns.
- (2) The vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of director(s) or employee(s) or any other person who avail the mechanism and also provide for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate or exceptional cases.

Related party transactions.

62K. (1) The HVDLE shall formulate a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions including clear threshold limits duly approved by the board of directors and such policy shall be reviewed by the board of directors at least once every three years and updated accordingly:

Provided that a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds Rupees one thousand crore or ten per cent. of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

(2) Notwithstanding the above, a transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken

together with previous transactions during a financial year, exceed five per cent. of the annual consolidated turnover of the HVDLE as per the last audited financial statements of the HVDLE.

(3) All related party transactions and subsequent material modifications shall require prior approval of the audit committee of the HVDLE:

Provided that only those members of the audit committee, who are independent directors, shall approve related party transactions:

Provided further that:

- (a) the audit committee of a HVDLE shall define "material modifications" and disclose it as part of the policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions;
- (b) a related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the HVDLE if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ten per cent. of the annual consolidated turnover, as per the last audited financial statements of the listed entity;
- (c) a related party transaction to which the subsidiary of a HVDLE is a party but the HVDLE is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the HVDLE if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ten per cent. of the annual standalone turnover, as per the last audited financial statements of the subsidiary;
- (d) prior approval of the audit committee of the HVDLE shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party but the listed entity is not a party, if regulation 23 and sub-regulation (2) of regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary.

Explanation: — For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred to in clause (d) above, the prior approval of the audit committee of the listed subsidiary shall suffice.

- (4) Audit committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the HVDLE subject to the following conditions, namely-
 - (a) the audit committee shall lay down the criteria for granting the omnibus approval in line with the policy on related party transactions of the HVDLE and such approval shall be applicable in respect of transactions which are repetitive in nature;
 - (b) the audit committee shall satisfy itself regarding the need for such omnibus approval and that such approval is in the interest of the listed entity;
 - (c) the omnibus approval shall specify:
 - (i) the name(s) of the related party, nature of transaction, period of transaction, maximum amount of transactions that shall be entered into;
 - (ii) the indicative base price / current contracted price and the formula for variation in the price if any; and
 - (iii) such other conditions as the audit committee may deem fit:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding Rupees one crore per transaction.

- (d) the audit committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of related party transactions entered into by the HVDLE pursuant to each of the omnibus approvals given.
- (e) Such omnibus approvals shall be valid for a period not exceeding one year.
- (5) All material related party transactions and subsequent material modifications as defined by the audit committee under sub-regulation (3) shall require prior No-Objection Certificate from the Debenture Trustee and the Debenture Trustee shall in turn obtain No-Objection from the debenture holders who are not related with the Issuer and hold atleast more than fifty per cent. of the debentures in value, on the basis of voting including e-voting.

(6) After obtaining approval of the debenture holders, approval of the shareholders through resolution shall be obtained.

Explanation (1): — If the No-Objection Certificate has been withheld, the matter shall not be taken forward for shareholders' consideration.

Explanation (2): — This No-Objection Certificate from Debenture Trustee and debenture holders shall be obtained in respect of listed debt securities issued on or after April 01, 2025:

Provided that in case of outstanding listed debt securities as on March 31, 2025, No-Objection Certificate from Debenture Trustee and debenture holders shall not be required for existing or prospective material related party transactions:

Provided further that prior approval of the shareholders and No-objection Certificate by Debenture Trustee of a HVDLE, in the manner as specified in sub-regulation (5) of regulation 62K of these regulations shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party but the listed entity is not a party, if regulation 62K of these regulations is applicable to such listed subsidiary.

Explanation (3): — For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred above, the prior approval of the shareholders and No-objection Letter from Debenture Trustee of the listed subsidiary, in the manner as specified in sub-regulation (5) of regulation 62K of these regulations, shall be obtained:

Provided that the requirements specified under this sub-regulation shall not apply in respect of a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, subject to the event being disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

- (7) The provisions of sub-regulations (3), (4) and (5) shall not be applicable in the following cases:
 - (a) transactions entered into between two government companies;
 - (b) transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval; and
 - (c) transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.

Explanation: — For the purpose of clause (a) of this sub-regulation, "government company" means Government company as defined in sub-section (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.

- (8) The provisions of this regulation shall be applicable to all transactions entered into on or after April 01, 2025.
- (9) The HVDLE shall submit to the stock exchanges disclosures of related party transactions in the format as specified by the Board from time to time, and publish the same on its website:

Provided that a HVDLE shall submit such disclosures along with its standalone financial results for the half year.

Corporate governance requirements with respect to unlisted material subsidiary of HVDLE

62L. (1) At least one independent director, on the board of directors of the HVDLE, shall be a director on the board of directors of an unlisted material subsidiary, whether incorporated in India or not.

Explanation: — For the purposes of this regulation, the term "material subsidiary" shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds twenty per cent. of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

- (2) The audit committee of the HVDLE shall also review the financial statements and in particular, the investments made by the unlisted material subsidiary.
- (3) The minutes of the meetings of the board of directors of the unlisted material subsidiary shall be placed at the meeting of the board of directors of the HVDLE.
- (4) The management of the unlisted material subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of directors of the HVDLE, a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted material subsidiary.

Explanation: — For the purpose of this regulation, the term "significant transaction or arrangement" shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed ten per cent. of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted material subsidiary for the immediately preceding financial year.

- (5) A HVDLE shall not dispose of shares in its unlisted material subsidiary resulting in reduction of its shareholding (either on its own or together with other subsidiaries) to less than or equal to fifty per cent. or relinquish the control over the subsidiary without passing a special resolution in its General Meeting except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal, or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.
- (6) Selling, disposing and leasing of assets amounting to more than twenty per cent. of the assets of the unlisted material subsidiary on an aggregate basis during a financial year shall require prior approval of shareholders by way of special resolution, unless the sale/disposal/lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal, or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.
- (7) Where a HVDLE has a listed subsidiary, which is itself a holding company, the provisions of this regulation shall apply to the listed subsidiary in so far as its subsidiaries are concerned.

Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report.

- **62M.** (1) Every HVDLE and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit and shall annex a secretarial audit report given by a company secretary in practice, in such form as specified by the Board, with the annual report of the listed entity.
- (2) Every HVDLE shall submit a secretarial compliance report in such form as specified by the Board, to stock exchanges, within sixty days from end of each financial year.

Obligations with respect to independent directors.

- **62N.** (1) No person shall be appointed as an alternate director for an independent director of a HVDLE.
- (2) The maximum tenure of independent directors shall be in accordance with the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.
- (3) The appointment, re-appointment or removal of an independent director of a HVDLE, shall be subject to the approval of shareholders by way of a special resolution:

Provided that where a special resolution for the appointment of an independent director fails to get the requisite majority of votes but the votes cast in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution and the votes cast by the public shareholders in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution, then the appointment of such an independent director shall be deemed to have been made under sub-regulation (3):

Provided further that an independent director appointed under the first proviso shall be removed only if the votes cast in favour of the resolution proposing the removal exceed the votes cast against the resolution and the votes cast by the public shareholders in favour of the resolution exceed the votes cast against the resolution.

- (4) The independent directors of the HVDLE shall hold at least one meeting in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall strive to be present at such meeting.
- (5) The independent directors in the meeting referred in sub-regulation (4) shall, inter alia-
 - (a) review the performance of non-independent directors and the board of directors as a whole;
 - (b) review the performance of the chairperson of the HVDLE, taking into account the views of executive directors and non-executive directors;
 - (c) assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the management of the HVDLE and the board of directors that is necessary for the board of directors to effectively and reasonably perform their duties.

- (6) An independent director shall be held liable, only in respect of such acts of omission or commission by the HVDLE which had occurred with his/her knowledge, attributable through processes of board of directors, and with his/ her consent or connivance or where he/ she had not acted diligently with respect to the provisions contained in these regulations.
- (7) An independent director who resigns or is removed from the board of directors of the HVDLE shall be replaced by a new independent director by the HVDLE not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that where the HVDLE fulfils the requirement of independent directors in its board of directors without filling the vacancy created by such resignation or removal, the requirement of replacement by a new independent director shall not apply.

- (8) The HVDLE shall familiarise the independent directors through various programmes about the HVDLE, including the following:
 - (a) nature of the industry in which the HVDLE operates;
 - (b) business model of the HVDLE;
 - (c) roles, rights, responsibilities of independent directors; and
 - (d) any other relevant information.
- (9) Every independent director shall, at the first meeting of the board in which he participates as a director and thereafter at the first meeting of the board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director, submit a declaration that he meets the criteria of independence as provided in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 62D and that he is not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated, that could impair or impact his ability to discharge his duties with an objective independent judgment and without any external influence.
- (10) The board of directors of the HVDLE shall take on record the declaration and confirmation submitted by the independent director under sub-regulation (9) after undertaking due assessment of the veracity of the same.
- (11) The HVDLE shall undertake Directors and Officers insurance ("D and O insurance") for all its independent directors for such sum assured and for such risks as may be determined by its board of directors
- (12) No independent director, who resigns from a HVDLE, shall be appointed as an executive / whole time director on the board of the HVDLE, its holding, subsidiary or associate company or on the board of a company belonging to its promoter group, unless a period of one year has elapsed from the date of resignation as an independent director.

Obligations with respect to employees including senior management, key managerial personnel, directors and promoters.

- **620.** (1) A director shall not be a member in more than ten committees or act as chairperson of more than five committees across all listed entities in which he/she is a director which shall be determined as follows:
 - a) for calculating the limit of the committees on which a director may serve, all public limited companies, whether listed or not, and HVDLEs, shall be included and all other companies including private limited companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013 shall be excluded;
 - b) for the purpose of determination of limit, chairpersonship and membership of the audit committee and the stakeholders' relationship committee alone shall be considered.
- (2) Every director shall inform the HVDLE about the positions he or she occupies in committees of other listed entities/HVDLEs and notify changes as and when they take place.
- (3) All members of the board of directors and senior management personnel shall affirm compliance with the code of conduct of board of directors and senior management on an annual basis.
- (4) Senior management shall make disclosures to the board of directors relating to all material, financial and commercial transactions, where they have personal interest that may have a potential conflict with the interest of the HVDLE at large.

Explanation: — For the purpose of this sub-regulation, conflict of interest relates to dealing in the shares of listed entity or commercial dealings with bodies, which have shareholding of management and their relatives etc.

(5) No employee including key managerial personnel or director or promoter of a HVDLE shall enter into any agreement for himself/herself or on behalf of any other person, with any shareholder or any other third party with regard to compensation or profit sharing in connection with dealings in the securities of such HVDLE, unless prior approval for the same has been obtained from the board of directors as well as public shareholders by way of an ordinary resolution:

Provided that such agreement, if any, whether subsisting or expired, entered during the preceding three years from the date of coming into force of this sub-regulation, shall be disclosed to the stock exchanges for public dissemination:

Provided further that subsisting agreement, if any, as on the date of coming into force of this sub-regulation shall be placed for approval before the board of directors in the forthcoming Board meeting:

Provided further that if the board of directors approve such agreement, the same shall be placed before the public shareholders for approval by way of an ordinary resolution in the forthcoming general meeting:

Provided further that all interested persons involved in the transaction covered under the agreement shall abstain from voting in the general meeting.

Explanation: — For the purposes of this sub-regulation, "interested person" shall mean any person holding voting rights in the HVDLE and who is in any manner, whether directly or indirectly, interested in an agreement or proposed agreement, entered into or to be entered into by such a person or by any employee or key managerial personnel or director or promoter of such listed entity with any shareholder or any other third party with respect to compensation or profit sharing in connection with the securities of such listed entity.

Vacancies in respect of certain Key Managerial Personnel

62P. (1) Any vacancy in the office of Chief Executive Officer, Managing Director, Whole Time Director or Manager shall be filled by the HVDLE at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that where the HVDLE is required to obtain approval of regulatory, government or statutory authorities to fill up such vacancies, then the vacancies shall be filled up by the HVDLE at the earliest and in any case not later than six months from the date of vacancy:

Provided further that the HVDLE shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity, unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of a fresh appointment to such office and the obligations under such laws are made applicable to such person.

(2) Any vacancy in the office of the Chief Financial Officer shall be filled by the HVDLE at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that where the HVDLE is required to obtain approval of regulatory, government or statutory authorities to fill up such vacancy, then the vacancy shall be filled up by the HVDLE at the earliest and in any case not later than six months from the date of vacancy:

Provided further that the HVDLE shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity, unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of a new appointment to such office and the obligations under such laws are made applicable to such person.

Other corporate governance requirements.

62Q. (1) The HVDLE may, at its discretion, comply with requirements as specified in Part E of Schedule II, if applicable.

- (2) (a) The HVDLE shall submit a periodic compliance report on corporate governance in the format as specified by the Board from time to time to the recognized stock exchange(s) within twenty one days from the end of the period.
 - (b) Details of all material transactions with related parties shall be disclosed along with the report mentioned in clause (a) of this sub-regulation.
 - (c) Details of cyber security incidents or breaches or loss of data or documents shall be disclosed along with the report mentioned in clause (a) of this sub-regulation, as may be specified.

- (d) The report mentioned in clause (a) of sub-regulation (2) shall be signed either by the compliance officer or the chief executive officer of the HVDLE.
- (3) HVDLEs may provide in the annual report, a Business Responsibility and Sustainability Report on the environmental, social and governance disclosures as specified in clause (f) of the sub-regulation (2) of the regulation 34, in the format as may be specified by the Board from time to time."

(7) in Schedule II, -

- (i) in the heading of PART A, after the words, numbers and symbols "See Regulation 17(7)", the words, numbers and symbols "and Regulation 62D (13)" shall be inserted;
- (ii) in the heading of PART B, after the words, numbers and symbols "See Regulation 17(8)", the words, numbers and symbols "and Regulation 62D(14)" shall be added;
- (iii) in the heading of PART C, after the words, numbers and symbols "See Regulation 18(3)", the words, numbers and symbols "and Regulation 62F" shall be added;
- (iv) in the heading of PART D, after the number and symbol "20 (4)", the word "and" shall be substituted with the symbol "," and after the words "See Regulation 19(4), 20(4), 21(4)", the words ", 62G, 62H and 62I" shall be added; and
- (v) in Part D, in Paragraph B, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely, -
 - "(5) Resolving grievances of debenture holders related to creation of charge, payment of interest/principal, maintenance of security cover and any other covenants."

PRAMOD RAO, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./1119/2024-25]

Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no.SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/25.

- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.
- hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.
- December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.

- jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.
- kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- II) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No.SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.
- mm) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- nn) August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.
- oo) September 19, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.
- pp) October 09, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155.
- qq) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158.
- rr) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/161.
- ss) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (First Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/177.
- tt) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/189.
- uu) December 12, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/218.